

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 13/204

मूर्ति मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज जुगल किशोर जी विराजमान इन्द्रगढ जिला बून्दी जरिये पुजारी व्यवस्थापक हितेषी नेक्सट फ्रेण्ड श्री जयशंकर आयु 75 वर्ष आत्मज श्री मुलक चन्द जाति गुजराती ब्राह्मण निवासी बिहारी जी का चौक इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :-

1. जगदीश नारायण शर्मा आयु 47 वर्ष ।
2. विष्णु प्रसाद शर्मा आयु 40 वर्ष
3. गोविन्द नारायण शर्मा आयु 37 वर्ष पिसरान जरिये पुजारी स्व० श्री जयशंकर आत्मज मुलकचन्द जाति ब्राह्मण निवासी बिहारी जी का चौक इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

—अपीलान्त

बनाम

प्रभूलाल आयु 35 वर्ष आत्मज श्री मोहन लाल जाति माली निवासी मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

—रेस्पोजन्ट

अपील संख्या : 13/206

मूर्ति मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज जुगल किशोर जी विराजमान इन्द्रगढ जिला बून्दी जरिये पुजारी व्यवस्थापक हितेषी नेक्सट फ्रेण्ड श्री जयशंकर आयु 75 वर्ष आत्मज श्री मुलक चन्द जाति गुजराती ब्राह्मण निवासी बिहारी जी का चौक इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :-

1. जगदीश नारायण शर्मा आयु 47 वर्ष ।
2. विष्णु प्रसाद शर्मा आयु 40 वर्ष
3. गोविन्द नारायण शर्मा आयु 37 वर्ष पिसरान जरिये पुजारी स्व० श्री जयशंकर आत्मज मुलकचन्द जाति ब्राह्मण निवासी बिहारी जी का चौक इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

—अपीलान्त

बनाम

प्रभूलाल आयु 35 वर्ष आत्मज श्री मोहन लाल जाति माली निवासी मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

—रेस्पोजन्ट

उपस्थित :- 1. श्री बालकिशन रायका, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से दोनों अपीलों में
2. श्री हेमन्त कुमार योगी, अभिभाषक, रेस्पोजन्ट की ओर से दोनों अपीलों में

1008

निर्णय

दिनांक: 09.07.2018

1. अपीलान्त द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2013 के विरुद्ध पेश की गई है ।
2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग-अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।
3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र बाबत् रिसीवर नियुक्त किये जाने का प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया ।
4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के उपस्थित नहीं होने से अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया ।
5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की दिनांक 22.08.2008 से पूर्व दिनांक 19.05.2008 को आकस्मिक मृत्यु होने के कारण न्यायालय की तारीख पेशी पर अदालत हाजा में उपस्थित नहीं हो सका था । इसलिए उक्त आदेश की जानकारी भी समय पर प्राप्त नहीं हुई । अतः मृतक के कायम मुकामान के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् रिसीवर नियुक्त करने का पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश पारित किया जावे ।
6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 31.05.2013 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज कर दिया ।
7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.05.2013 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्त ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्त स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।
8. दोनों अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।
9. अपीलान्त के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्त के पिता जयशंकर जी का दिनांक 22.08.2008 को आकस्मिक निधन हो गया था इसलिए वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्त के पिता द्वारा अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता की नियुक्ति कर रखी थी परन्तु उन्होंने भी इस सम्बन्ध में अपीलान्त को कोई जानकारी नहीं थी ऐसी स्थिति में अपीलान्तगण अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लेने बाबत् समय पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः दोनों अपील




अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2013 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे ।

10. रेस्पोंडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सीपीसी का काफी विलम्ब से पेश किया है और विलम्ब के कोई संतोषप्रद कारण भी दर्शित नहीं किये हैं ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2013 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी जयशंकर ने मूर्ति मंदिर की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का बाबत रिसीवर नियुक्त करने का पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज कर दिया । चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट के पिता जयशंकर की दिनांक 22.08.2008 को मृत्यु हो चुकी थी इस प्रकार वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे । मृतक जयशंकर के वारिसान को जब प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई तब उनके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सीपीसी का पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर मानते हुए खारिज कर दिया । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थना पत्र के मूल बिन्दु अनिर्णित हैं और यदि ऐसे प्रकरणों को तकनीकी आधार पर निस्तारित कर दिया जाता है जो पक्षकारान को उचित न्याय नहीं मिलेगा और सही न्याय प्राप्त करने में वंचित हो जावेगा । इस सम्बन्ध में विभिन्न उच्चतर न्यायालयों ने भी अपने अभिमत दिये हैं कि जहाँ तक हो ऐसे प्रकरणों को तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए नहीं तो पक्षकारान को उचित न्याय प्राप्त नहीं होगा और पक्षकारान कानूनी पेचिदिगियों में उलझते रहेंगे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 13/204 एवं 13/206 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2013 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दोनों प्रार्थना पत्रों का गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 28.08.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 09.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा